

राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांक: प.2(2) सामान्य/न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 12.12.2017

अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (नये बाल विकास विभाग)

विषय:- ड्यू-कोर्स प्रकरणों के इन्द्राज के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.10.2017 एवं 06.11.2017 के माध्यम से अवगत करवाया गया था कि ड्यू-कोर्स (Due-Course) में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की न्यायालयवार समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा उक्त प्रकरणों का सम्बन्धित न्यायालय में इन्द्राज न कर अन्य न्यायालयों में इन्द्राज किया जा रहा है (अद्यतन रिपोर्ट की प्रति संलग्न)।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है, कि ड्यू-कोर्स में लम्बित न्यायिक प्रकरणों का सम्बन्धित न्यायालय में ही इन्द्राज करवाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Director, ICDS

Raj. Jaipur

Receipt No. 4946

Date: 12/11/2017

संयुक्त शासन सचिव

20/12

LC

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक-एफ.15(7)(6)/लाईटस/विधि/आईसीडीएस/2017/14379-38 जयपुर, दिनांक: 17-1-18

1. प्रभारी अधिकारी वाद, मुख्यालय एवं उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजकर लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग से प्राप्त पत्र अनुसार वांछित पालना किया जाना सुनिश्चित करे।
2. उप शासन सचिव, मबावि, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अति निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं